**JALAUN POLICE**

**दिनांक –28.11.2024**

**श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।**

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में 01 अभियुक्त को मान0 न्यायालय द्वारा 02 वर्ष 06 माह का सश्रम कारावास एवं 6,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

**प्रकरण प्रथम–** अभियुक्त बृजेश सिंह पुत्र लाखन सिंह यादव नि0 जयरामपुर थाना कालपी जनपद जालौन द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना कारित करने पर वादी की तहरीर के आधार पर कोतवाली कालपी पर मु0अ0सं0 107/20 (वाद संख्या 81/21) धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)(द)(ध) एससी एसटी एक्ट के तहत पंजीकृत हुआ था एवं आरोपी बृजेश सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 27.11.2024 को मा0 न्यायालय विशेष एससी एसटी कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त बृजेश सिंह उपरोक्त को दोषी पाते हुये 2 वर्ष 06 माह का सश्रम कारावास एवं 6,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।